

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 230 / 2011
संस्थित दिनांक-23.05.2011

म.प्र. राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र ठीकरी जिला बड़वानी अभियोगी

वि रु द्ध

रवि कौशल पिता भेरुप्रसाद जाति लौधी,
उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सुतारखोड़ी (गुजरखोड़ा)
अंकित पेट्रोल पंप के सामने थाना किशनगंज,
जिला इंदौर म.प्र.अभियुक्त

राज्य द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	- श्री एच.सी.बंसल अधिवक्ता ।

--:: निर्णय ::--
(आज दिनांक को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 57/11 के आधार पर दिनांक 14.04.2011 को सुबह 11:30 बजे स्थान मालन बाबा व पेट्रोल पंप के बीच बड़वानी रोड़ दवाना में लोकमार्ग पर वाहन वैगनआर क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए. 2541 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर धना पिता सीताराम को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा.द.वि. की धारा-304(ए) का आरोप है ।
2. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.2011 को माणक मोटरसाईकल से ठीकरी तरफ जा रहा था मालन बाबा की पुलिया से आगे दवाना तरफ पहुंचा कि ठीकरी की तरफ से एक मारुति क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए. 2541 को उसका चालक तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व रोड़ किनारे पैदल जा रहे सीताराम के लड़के धना को टक्कर मार दी जिससे उसके सिर के दाहिनी तरफ कनपट्टी व नाक में चोट आई। मारुति वाला मारुति लेकर बड़वानी तरफ भाग गया। मौके पर अनिल व जगदीश तलाईपुरा वाले थे उन्होंने धना को उठाया व उसके पिता सीताराम को खबर की बाद में वह सभी धना को लेकर ठीकरी सरकारी अस्पताल ईलाज हेतु लेकर गये। डॉक्टर ने चेक किया तो धना को मृत होना बताया। धना की लाश को अस्पताल में छोड़कर थाने पर रिपोर्ट करने गये। फरियादी माणक द्वारा की गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 57/11 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध

किये गये। मृतक के शव का परीक्षण कराया गया। आरोपी से मारुति वैगनआर क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए. 2541 दस्तावेजों सहित जप्त की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

4. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित किये जाने पर आरोपी द्वारा अपराध को अस्वीकार किया गया है एवं अपना विचारण चाहा है। द.प्र.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी द्वारा समस्त तथ्यों से इन्कार किया गया है। बचाव में आरोपी द्वारा साक्ष्य देना प्रकट किया किन्तु किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी द्वारा घटना दिनांक 14.04.2011 को सुबह 11:30 बजे स्थान मालन बाबा व पेट्रोल पंप के बीच बड़वानी रोड़ दवाना में लोकमार्ग पर वाहन वैगनआर क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए. 2541 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मृतक धना पिता सीताराम को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

-:सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में माणक (असा.1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। वह मृतक धना को भी जानता हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व दिन के 11:30 बजे मृतक धना बकरी चराने दवाना से आगे पुलिया की तरफ जा रहा था तभी ठीकरी के ओर से एक वैगनआर वाहन आई तथा धना को टक्कर मार दी, जिससे धना के दाहिने तरफ कनपट्टी और चहरे पर चोटे आई फिर वे लोग धना को शासकीय अस्पताल ठीकरी लेकर गये जहां डॉक्टर ने धना को मृत घोषित कर दिया। साक्षी का यह भी कथन है कि वैगनआर वाहन तेज गति से आया था। उसने पुलिस थाने पर जाकर प्रपी-1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने नक्शामौका प्रपी-2, सफीना फॉर्म प्रपी-3 एवं लाश पंचनामा प्रपी-4 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना वैगनआर चालक से गलती से हुई थी।

07. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मृतक धना रणगांव का था वह ग्राम सरवा से 11:15 बजे निकला था। वह घटना स्थल पर पहुंचा तब तक भीड़ लग गई थी तथा घटना कारित करने वाला वाहन जा चूका था किन्तु उसने वाहन का नंबर वाहन के पिछले भाग से देखा था जिस पर अंग्रेजी में एम.पी. 09 जी लिखा था, आगे का नंबर अंग्रेजी अंको में लिखा था जो वह भूल गया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने वाहन चालक को नहीं देखा था और वाहन के चालक का नाम भी ज्ञात नहीं हुआ। साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन के

स्वामी के नाम की जानकारी थाना ठीकरी पर इंटरनेट के माध्यम से हुई थी। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था अथवा धना को किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

08. सीताराम (असा.2), संजय (असा.3) रमेश (असा.4), जगदीश (असा.5) ने भी दुर्घटना में धना की मृत्यु की सूचना मिलने के संबंध में कथन किये हैं। सीताराम (असा.2), रमेश (असा.4) तथा संजय (असा.3) ने सफीना फॉर्म प्रपी-3, लाश पंचनामा प्रपी-4, में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में सीताराम ने स्वीकार किया कि वह घटना के समय घर पर था। वह यह नहीं बता सकता कि घटना कैसे हुई। संजय (असा.3) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि हल्ला होने के बाद वह घटना स्थल पर अकेला गया तथा माणक उसके बाद आया। जगदीश (असा.5) ने अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि मारुति कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए. 2541 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर धना को टक्कर मार दी। यहां तक की साक्षी ने पुलिस को प्रपी-5 का कथन देने से भी इंकार किया है।

09. डॉ. डी.एस. चौहान (असा.7) ने दिनांक 14.04.11 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आरक्षक बिलवर द्वारा लाने पर मृतक धना पिता सातीराम के शव का परीक्षण कर उसके सिर में आई चोटों के कारण परीक्षण के 12 घंटे के भीतर आना पाई तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-7 प्रमाणित किया हैं। अशोक वर्मा (असा.6) दिनांक 20.04.11 को थाना ठीकरी में मारुति कार वैगनआर क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए. 2541 का यांत्रिकी परीक्षण करने पर उसे दुर्घटना के पश्चात् खराब अवस्था में होना पाया तथा अपना प्रतिवेदन प्रपी-6 प्रमाणित किया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन के दीवार या झाड़ के टकराने से स्टेरिंग टुट सकता है।

10. बीसी. तँवर (असा.8) का कथन है दिनांक 14.04.11 थाना ठीकरी के अप. क्र. 57/11 की विवेचना के दौरान साक्षी माणक की निशांदेही पर प्रपी-2 का नक्शामौका बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृत धना का सफीना फॉर्म प्रपी-3, नक्शा पंचनामा प्रपी-4 बनाया था जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी के पेश करने पर उसने मारुति वैगनआर नंबर एम.पी. 09 सी.ए. 2541 दस्तावेजों और आरोपी की चालक अनुज्ञप्ति के साथ प्रपी-8 के अनुसार जप्त की जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि इस अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रधान आरक्षक बबनराव चौधरी ने लिखी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हो पहचानता हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ठीकरी से बड़वानी की ओर कई वाहन आते जाते हैं, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि घटना इस वाहन से नहीं हुई थी अथवा असत्य विवेचना की।

11. इस प्रकार फरियादी माणक सहित किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, स्थान और समय उक्त मारुति वैगनआर क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए.

2541 लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरिके से चलाकर उसकी टक्कर धना को मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये यहां तक किसी साक्षी ने वाहन का नंबर भी अपने कथन के दौरान नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मारुति कार को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरिके से चलाकर धना की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती।

12. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

13. अतः यह न्यायालय आरोपी रवि कौशल पिता भेरुप्रसाद जाति लौधी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सुतारखेड़ी (गुजरखेड़ा) अंकित पेट्रोल पंप के सामने थाना किशनगंज जिला इंदौर म.प्र. को भा.द.वि. की धारा— 304(ए) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

14. आरोपी के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए।

16. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मारुति वैगनआर क्रमांक एम.पी. 09 सी.ए. 2541 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.